दिनांक 20.02.2019 को श्री राघवेन्द्र सिंह, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, बक्सर की अध्यक्षता में सम्पन्न प्रधान लिपिकों की बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– **पंजी के अनुसार।**

कार्यवाही :–

सर्वप्रथम उपस्थित सभी प्रधान लिपिकों का स्वागत् करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। तत्पश्चात बिन्दुवार मामलों का समीक्षा करते हुए निम्नांकित निदेश दिये गये :–

1. **वित्तीय प्रबंधन :–**

➢ गत् प्रधान लिपिकों की बैठक में दिये गये निदेश की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वार्ड प्रबंधन एवं क्रियान्वियन समिति द्वारा सात निश्चय योजना के तहत क्रियान्वित योजनाओं में आवंटित राशि का व्यय संबंधी बैंक स्टेटमेन्ट एवं बैंक समाशोधन प्रतिवेदन निम्नांकित प्रखण्ड कार्यालयों के प्रधान लिपिकों द्वारा तैयार किया गया है :–

क्रमांक	प्रखण्ड का नाम	प्रतिवेदन प्राप्त कराने की स्थिति	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1.	बक्सर	प्रधान लिपिक द्वारा बताया गया कि सभी पंचायतों/वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति से संबंधित खाते में स्थानांतरित की गई राशि का बैंक स्टेटमेंट प्राप्त कर ली गई है। खाते से मिलान भी कर लिया गया है। वित्तीय अनियमितता से संबंधित कोई मामला प्रकाश में नही आया है।	निदेशित किया गया कि बैंक खाता एवं स्टेटमेंट से राशि का मिलान लगातार करते रहेंगे। एवं अद्यतन प्रतिवेदन के साथ आगामी बैठक में उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यदि कही भी वित्तीय अनियमिता की बात परिलक्षित होती है तो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के माध्यम से अविलम्ब प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करेंगे।
2.	इटाढ़ी	प्रधान लिपिक द्वारा बताया गया कि सभी पंचायतों से प्रतिवेदन प्राप्त कर समेकित प्रतिवेदन पंचायत कार्यालय, बक्सर में जमा कर दिया गया है तथा बैंक स्टेटमेंट एवं संबंधित खाता से मिलान किया गया है, कहीं भी कोई त्रुटि नहीं पाई गई है।	निदेशित किया गया कि नियमित रूप से बैंक स्टेटमेंट प्राप्त कर मिलान करना सुनिश्चित करेंगे एवं अनुपालन प्रतिवेदन के साथ उपस्थित रहेंगे।
3.	चौसा	प्रधान लिपिक बैठक में अनुपस्थित है।	बैठक में प्रधान लिपिक के अनुपस्थिति के कारण समीक्षा नहीं किया जा सका। अनाधिकृत अनुपस्थिति के रूप में अपना कारणपृच्छा प्रस्तुत करेंगे। बैठक की तिथि का वेतन अवरूध किया जाता है।
4	राजपुर	प्रधान लिपिक द्वारा बताया गया कि खाता एवं बैंक स्टेटमेंट से मिलान किया गया है। प्रखण्ड राजपुर के अन्तर्गत पंचायत तियरा के वार्ड नं0 **3** द्वारा पैसे की निकासी की गयी है, परन्तु कार्य नही किया गया है।	निदेशित किया गया कि नियमित रूप से बैंक स्टेटमेंट प्राप्त कर मिलान करना सुनिश्चित करेंगे एवं अनुपालन प्रतिवेदन के साथ उपस्थित रहेंगे।

क्रमांक	प्रखण्ड का नाम	प्रतिवेदन प्राप्त कराने की स्थिति	अभ्युक्ति
1	2	3	4
5.	डुमरॉव	प्रधान लिपिक द्वारा बताया गया कि बैंक स्टेटमेन्ट प्राप्त कर जॉच की गयी है। कोई अनियमितता नहीं पायी गयी है।	निदेशित किया गया कि बैंक खाता एवं बैंक स्टेटमेंट से मिलान करते हुए प्रतिवेदन जिला पंचायत शाखा, बक्सर को प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे।
6.	ब्रह्मपुर	प्रधान लिपिक द्वारा बताया गया कि पंचायत एवं वार्ड के बैंक खातों की जॉच की गयी है। कोई अनियमितता परिलक्षित नही हुआ है।	निदेशित किया गया कि बैंक खाता एवं बैंक स्टेटमेंट से मिलान करते हुए प्रतिवेदन जिला पंचायत शाखा, बक्सर को प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे।
7.	सिमरी	प्रधान लिपिक द्वारा बताया गया कि सात निश्चय से संबंधित बैंक खातों की जॉच कर ली गयी है। कही भी अनियमितता परिलक्षित नही हुयी है।	दिनांक **07.12.2018** को सम्पन्न बैठक में प्रधान लिपिक द्वारा स्पष्ट जवाब नही देने के कारण दिनांक **07.12.2018** का वेतन स्थगित करते हुए स्पष्टीरण की मांग की गयी थी, परन्तु प्रधान लिपिक द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब नही दिया गया है। निदेशित किया जाता है कि स्प्टीकरण अविलम्ब देना सुनिश्चित करेंगे।
8.	चक्की	प्रधान लिपिक द्वारा बताया गया कि सभी पंचायत/वार्डो के बैंक खाता एवं उसका मिलान भी कर ली गयी है। कोई अनियमितता प्रकाश में नही आया है।	निदेशित किया गया कि प्रत्येक माह में नियमित रूप से बैंक खातों की जॉच करेंगे एवं यदि कोई अनियमितता परिलक्षित होती है तो नियमानुसार कार्रवाई करते हुए वरीय पदाधिकारी को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करेंगे।
9.	चौंगाई	प्रधान लिपिक द्वारा बताया गया कि **15** वार्डो में नगद निकासी की गयी है। कार्रवाई हेतु जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर से मार्ग निदेश की मांग की गयी है।	जिला पंचायत राज कार्यालय के प्रधान लिपिक द्वारा बताया गया कि पत्रांक **16–0157**/पं0, दिनांक **21.01.2019** द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चौंगाई को निदेशित किया गया है कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खातों से की गयी नगद की गयी निकासी के आलोक में क्रियान्वित/पूर्ण योजनाओं का भौतिक सत्यापन कर यह सुनिश्चित कर लें कि निकासी की गयी राशि के अनुसार योजनाओं का कार्य पूर्ण हुआ है अथवा नही? यदि निकासी की गयी राशि के अनुरूप कार्य नही किया गया है तो दोषी व्यक्तियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने हेतु प्रस्ताव की मांग की गयी है।

क्रमांक	प्रखण्ड का नाम	प्रतिवेदन प्राप्त कराने की स्थिति	अभ्युक्ति
1	2	3	4
10.	केसठ	प्रधान लिपिक द्वारा बताया गया कि स्टेटमेंट प्राप्त कर जॉच कर ली गयी है। कोई अनियमितता परिलक्षित नही हुई है।	निदेशित किया जाता है कि नियमित रूप से बैंक स्टेटमेन्ट प्राप्त कर जॉच करेंगे एवं आगामी बैठक में अद्यतन प्रतिवेदन के साथ उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे।
11.	नावानगर	प्रधान लिपिक द्वारा बताया गया कि स्टेटमेंट प्राप्त कर जॉच कर ली गई है। ग्राम पंचायत रूपसागर के वार्ड में वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाते में गैस की सब्सिडी का पैसा आया है।	प्रधान लिपिक द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत, रूप सागर के वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाते में गैस सब्सिडी का पैसा बैंक द्वारा स्थानांतरित किये जाने के बिन्दु पर जिला पंचायत कार्यालय से मार्ग निदेश की मांग की गयी है। प्रधान लिपिक, जिला पंचायत राज कार्यालय, बक्सर द्वारा बताया गया की अग्रणी बैंक प्रबंधक को जाँच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

- उपस्थित सभी प्रखण्डों के प्रधान लिपिकों को वित्तीय प्रबंधन सुदृढ करने के निमित सरकारी कार्यहित में वार्ड प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समिति द्वारा संचालित विकास योजनाओं से संबंधित बैंक स्टेटमेन्ट एवं बैंक समाशोधन प्रतिवेदन के साथ आगामी बैठक में नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित रहने का निदेश दिया गया।
- प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक **1184** दिनांक **14.02.2019** द्वारा प्राप्त निदेशानुरूप निदेशित किया गया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल एवं ग्रामीण गली–नाली पक्की करण निश्चय योजना में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा प्राक्कलन के अनुरूप कार्य/सामाग्री का उपयोग नहीं किया जाता है ऐसी सभी दृष्टातों में किये गये व्यय निष्फल व्यय की श्रेणी में आयेगी, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा जो भी निष्फल व्यय किया गया है, वह वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष से वसूलनीय होगा, तदनुसार उनके विरूद्ध लोक मांग वसूली अधिनियम के अन्तर्गत निलाम पत्र दायर कर सुनिश्चित करेंगे।
- प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक **1184** दिनांक **14.02.2019** द्वारा प्राप्त निदेशानुरूप निदेशित किया गया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल एवं ग्रामीण गली–नाली पक्की करण निश्चय योजना में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा व्यक्तियों/प्रतिष्ठानों को बिना कार्य कराये अग्रिम का भुगतान किया गया है, जो मार्गदर्शिका में निहित प्रवधानों के अनुकूल नहीं है। वैसे मामले में अग्रिम के विरूद्ध किये गये कार्यो की समीक्षा कर जिन मामले में दिये गये अग्रिम के अनुरूप कार्य पूर्ण नहीं हुए हो उन सभी मामलों में अगले **15** दिनों के अन्दर स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करने संबंधी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे, साथ ही अनाधिकृत रूप से अग्रिम देने वाले और प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की अविलंब गिरफ्फतारी सुनिश्चित कराते हुए राशि की वसूली लोक मांग वसूली अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत करने संबंधी अग्रेतर कार्रवाई करेंगे।

- समीक्षा के क्रम में बताया गया कि पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों के मानदेय भुगतान हेतु आवंटन प्राप्त करायी गयी है, परन्तु प्रखण्डों से मानदेय भुगतान के पश्चात उपयोगिता प्रमाण–पत्र जिला पंचायत कार्यालय को प्राप्त नही करायी गयी है, जिसके कारण विभाग को उपयोगिता नही भेजा जा सका है। प्रखण्ड चौसा से वित्तीय वर्ष 2016–17 का भी उपायोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त नही हुआ है। निदेशित किया गया कि एक सप्ताह के अंदर जिला पंचायत कार्यालय, बक्सर को उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे।
- गत् बैठक में उपस्थित अंचलों के प्रधान लिपिकों को निदेशित किया गया था कि नियमित रूप से अंचल अधिकारियों का अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम निर्गत करते हुए सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को अंचल क्षेत्रान्तर्गत थाना प्रभारी एवं अंचल अधिकारी के साथ भूमि विवाद की बैठक एवं राजस्व वसूली से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे, परन्तु समीक्षा के क्रम में प्रधान लिपिकों द्वारा कोई जानकारी नही दी गयी। निदेश दिया जाता है कि सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को थानाध्यक्ष एवं अंचल अधिकारी के साथ होने वाली बैठक में उपस्थित रहकर कृत कार्रवाई का कार्यवाही तैयार करेंगे तथा ससमय संबंधित कार्यालय को प्रतिवेदित करते हुए आगामी प्रधान लिपिक की बैठक में इस विषय पर कृत कार्रवाई के अद्यतन प्रतिवेदन प्राप्त करायेंगे।
- गत् प्रधान लिपिकों की बैठक में भूमि सम्परिवर्तन से संबंधित भूमि का सर्वेक्षण कराते हुए अभिलेख तैयार कर सम्परिवर्तन के विन्दु पर अग्रेतर कार्रवाई हेतु अपने अनुमण्डल पदाधिकारी को प्रतिवेदन प्राप्त कराने का निदेश दिया गया था, परन्तु समीक्षा के क्रम में अनुपालन की स्थिति स्पष्ट नही की गयी। निदेशित किया गया कि निश्चित रूप से भूमि सम्परिवर्तन से संबंधित पर्यवेक्षण कराते हुए सूची अपने अनुमण्डल क्षेत्र के अनुमण्डल पदाधिकारी को प्राप्त करायेंगे एवं अनुपालन प्रतिवेदन के साथ उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे।
- अंचलों में प्रायः ऐसा पाया जा रहा है कि मापी कार्य हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर ही अंचलाधिकारियों द्वारा मापी कार्य के विन्दु पर निदेश दे दिये जाते है। यह भी मामला प्रकाश में आया कि मापी कार्य हेतु प्राप्त आवेदनों को क्रमवार निष्पादन न करके मनमाने तरीके से आवेदनों का निष्पादन किया जाता है। निदेशित किया जाता है कि मापी कार्य हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की पंजी संधारित कर नियमित रूप से मापी कार्य का निष्पादन करेंगे एवं उसकी प्रविष्टि संबंधित पंजी में करेंगे। साथ ही राजस्व शाखा के प्रधान लिपिक को निदेशित किया गया कि सभी अंचलों में अभिलेख संधारण हेतु विहित प्रपत्र में सभी अंचलों में भेजने हेतु उपस्थापित करेंगे।
- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि संयुक्त निदेशक, कृषि गणना, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना से प्राप्त स्टेट कॉर्डिनेटर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, असम से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेशानुसार किया जाना है, से संबंधित मामलों का सत्यापन अंचल, प्रखण्ड एवं अनुमण्डल स्तर पर लंबित है। बैठक में उपस्थिति अंचल/प्रखण्ड के प्रधान लिपिकों को निदेशित किया गया कि विषय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए इस मामले का निष्पादन शीघ्र करायेंगे एवं अनुपालन प्रतिवेदन के साथ आगामी बैठक में उपस्थित रहेंगे।
- बैठक में उपस्थित प्रधान लिपिकों को निदेशित किया गया कि व्यवहार न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा न्यायालीय कार्य हेतु अभिलेखों की मांग की जाती है तो ससमय अभिलेख संबंधित न्यायालय को प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे।

2. स्वच्छता :–

➤ गत् बैठक में उपस्थित प्रधान लिपिकों को कार्यालयों को साफ सुथरा रखने का निदेश दिया गया था। दिये गये निदेश की समीक्षा के क्रम में उपस्थित प्रधान लिपिकों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा कार्यालयों को साफ सुथरा एवं स्वच्छ रखा जाता है।

3. जलकर :–

➤ गत् बैठक में जिला मत्स्य कार्यालय के प्रधान लिपिक को निदेशित किया गया था कि मत्स्य विभाग से संबंधित जिले में कुल जलकरों की संख्या कितनी है तथा उन जलकरों पर यदि अतिक्रमण किया गया हो तो अतिक्रमण से संबंधित प्रतिवेदन दो दिनों के अंदर निश्चित रूप से प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे, परन्तु वे प्रधान लिपिक उपस्थित नहीं है। उनसे स्पष्टीकरण करने एवं वेतन भुगतान अवरूद्ध करने का निदेश दिया जाता है।

4. माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित मामले :–

क्र0	संबंधित कार्यालय	M.J.C	L.P.A	C.W.J.C	Cr.W.J.C.	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	उप विकास आयुक्त, बक्सर			4		4
2	जिला शिक्षा पदाधिकारी	1		11		12
3	जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बक्सर		1	18		19
4	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर			1		1
5	जिला शस्त्र शाखा			3		3
6	जिला सामान्य शाखा			1		1
7	जिला योजना शाखा			1		1
8	जिला मत्स्य पदाधिकारी			1		1
9	जिला परिवहन पदाधिकारी, बक्सर			1		1
10	जिला पंचायत शाखा, बक्सर	1		1		2
11	जिला आपदा शाखा, बक्सर			1		1
12	जिला राजस्व शाखा			1		1
13	जिला कृषि कार्यालय, बक्सर			1		1
14	अवर निबंधक, बक्सर			1		1
15	**D.P.O (ICDS)**			10		10
16	अंचल अधिकारी, डुमरॉव	1		3		4
17	अंचल अधिकारी, बक्सर	SLP-1		8		9
18	अंचल अधिकारी, ब्रह्मपुर		1	7	2	10
19	अंचल अधिकारी, नावानगर	1		8		9
20	अंचल अधिकारी, चौसा			1		1
21	अंचल अधिकारी, इटाढ़ी			2		2
22	अंचल अधिकारी, सिमरी			4		4
23	अंचल अधिकारी, राजपुर	2		0		2
24	प्रखंड विकास पदाधिकारी, इटाढ़ी			2		2
25	प्रखंड विकास पदाधिकारी, नावानगर			1		1
26	प्रखंड विकास पदा0, ब्रह्मपुर			2	1	3

क्र0	संबंधित कार्यालय	M.J.C	L.P.A	C.W.J.C	Cr.W.J.C.	कुल
1	2	3	4	5	6	7
27	विद्युत विभाग, बक्सर			1		1
28	नगर परिषद, बक्सर			1		1
29	नगर परिषद, डुमराँव			2		2
30	जिला परिषद, बक्सर	1		0		1
31	चकबंदी कार्यालय बक्सर			1		1
32	लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, बक्सर			1		1
33	अनुमण्डल कार्यालय, डुमराँव			2		2
34	अनुमण्डल कार्यालय, बक्सर			1		1
35	जल संसाधन विभाग, बक्सर			1		1
36	सिविल सर्जन, बक्सर			1		1
37	ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, डुमरॉवं			1		1
	कुल	**7**	**2**	**110**	**3**	**113**

लंबित वादों के समीक्षोपरांत निम्नांकित निदेश दिये गये :–

- वैसे मामले जिसमें याचिका की प्रति **IWDMS** पर अपलोड नही है, से संबंधित याचिका की प्रति विशेष दूत प्रतिनियुक्त करते हुए प्राप्त करेंगे एवं 15 दिनों के अंदर न्यायालय में तथ्य विवरणी दायर कराना सुनिश्चित करेंगे।
- वैसे मामले जिसमें तथ्य विवरणी दायर हो चुकी है, का ओथ नं0 दो दिनों के अंदर जिला विधि शाखा को प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रधान लिपिक को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैठक में आने से पूर्व सभी मामले की अद्यतन जानकारी एवं अनुपालन प्रतिवेदन की समीक्षा कर पूर्ण जानकारी के साथ बैठक में भाग लेंगे।
- लंबित वादों में कृत कार्रवाई की अद्यतन स्थिति आगामी बैठक के दो दिन पूर्व प्राप्त करायेंगे।
- प्रधान लिपिक जिला विधि शाखा, बक्सर को निदेशित किया जाता है कि वैसे मामले जिसमें तथ्य विवरणी दायर हो चुके है तथा विभाग द्वारा ओथ नं0 प्राप्त करा दी गयी है, को दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे तथा वैसे मामले जिसमें तथ्य विवरणी अनुमोदन हेतु प्राप्त हुई है, को शीघ्रता से उपस्थापित कर अनुमोदन की कार्रवाई करेंगे।
- समीक्षा के क्रम में निम्नांकित कार्यालय के प्रधान लिपिक अनुपस्थित पाये गये :–

1. जिला परिषद्, बक्सर
2. जिला मत्स्य कार्यालय, बक्सर

उपरोक्त कार्यालय के प्रधान लिपिकों द्वारा बैठक में भाग नही लेने के आरोप में अगले आदेश तक संबंधित प्रधान लिपिक का दिनांक 20.02.2019 का वेतन भुगतान स्थगित किया जाता है।

5. डी0सी0 विपत्र :–

क्र0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	दिनांक 11.09.18 तक लम्बित डी0सी0 विपत्र की राशि	दिनांक 08.10.18 तक लम्बित डी0सी0 विपत्र की राशि
1	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, ब्रह्मपुर	781925.00	781925.00
2	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बक्सर	102838.00	102838.00
3	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चक्की	-65756.00	-65756.00
4	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, इटाढी	389000.00	389000.00
5	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, नावानगर	2894700.00	2894700.00
6	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सिमरी	71570.00	71570.00
8	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, बक्सर	4534948.00	4522483.00
9	जिला शिक्षा पदा0, बक्सर	682619.00	682619.00
10	जिला योजना पदा0, बक्सर	442.00	442.00
11	जिला शिक्षा अधीक्षक, बक्सर	656670.00	656670.00
12	जिला कल्याण पदा0, बक्सर	11164578.00	11164578.00
13	उपसमाहर्त्ता नजारत, बक्सर	25596360.00	24530760.00
14	भवन प्रमंडल, बक्सर	662400.00	662400.00
15	कार्यपालक पदा0, नगर परिषद, बक्सर	2498477.00	2498477.00
16	जिला पंचायत कार्यालय, बक्सर	2691658.00	2691658.00
17	जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर	2859040.00	2602269.00
18	कमान्डेन्ट होम गार्ड, बक्सर	9922850.00	9922850.00
19	एल0टी0 कॉल कमान्डिंग कार्यालय, बक्सर	582387.00	171430.00
20	सिताराम उपाध्याय संग्रहालय, बक्सर	1487959.00	1487959.00
21	बक्सर जिला के अन्य निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	109370797.20	109383262.00
	Total	**176885462.20**	**175152134.00**

डी0सी0 विपत्र से निकासी की गयी राशि के समायोजन के संबंध में समीक्षा की गयी, के संबंध समीक्षा क गयी। निम्नांकित प्रधान लिपिकों द्वारा स्पष्ट रूप से जवाब नही दिया गया।

1. **प्रधान लिपिक, बाल विकास परियोजना कार्यालय, इटाढ़ी**
2. **प्रधान लिपिक, बाल विकास परियोजना कार्यालय, नावानगर**
3. **प्रधान लिपिक, जिला प्रोग्राम कार्यालय, बक्सर**
4. **प्रधान लिपिक, जिला कल्याण कार्यालय, बक्सर**

संबंधित कार्यालय के प्रधान लिपिकों को निदेशित दिया जाता है कि इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्राप्त करायेंगे। साथ ही अपने कार्यालय से संबंधित लंबित डी0सी0 विपत्रों की जॉच करते हुए समायोजन की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे एवं अनुपालन प्रतिवेदन के साथ आगामी बैठक में उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे। समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि बहुत से कार्यालयों द्वारा डी0सी0 विपत्र डी0सी0 विपत्र समर्पित कर दिये जाने की जानकारी दी गयी, परन्तु विभाग द्वारा समायोजित नही किये जाने के कारण मामले लंबित है। संबंधित कार्यालय के प्रधान लिपिक को निदेशित किया जाता है कि विशेष दूत महालेखाकार कार्यालय, पटना में भेजते हुए समायोजन की कार्रवाई सुनिश्चित करायेंगे।

6. **सेवान्त लाभ :–** सेवानिवृत कर्मियों के सेवान्त लाभ के भुगतान के संबंध में सेवानिवृत कर्मीवार समीक्षा की गई, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र0 सं0	सेवा निवृति की तिथि	कार्यालय /विभाग का नाम	सेवानिवृत कर्मी का नाम एवं पदनाम (मोबाईल नं0 सहित)
1	2	3	4
1	30.11.16	समाहरणालय, बक्सर	श्री शाकिर हुसैन, लिपिक
2	31.01.16	जिला प्रोग्राम कार्यालय, बक्सर	श्री रमेश कुमार ओझा, सेवानिवृत जिला प्रो0 पदाधिकारी, बक्सर मो0 9431668311
3	31.07.15	अनुमण्डल डुमरॉव	श्री शंभुनाथ प्रसाद, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी मो0 9471932089
4	31.10.16	अनुमण्डल डुमरॉव	श्री अरूण शक्ति देव, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी,डुमरॉव मो0 9661576511
5	31.03.18	अनुमण्डल डुमरॉव	श्री मिथिलेश कुमार सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी डुमरॉव
6	30.11.17	प्रखण्ड ब्रह्मपुर	श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, पंचायत सचिव
7	31.01.18	प्रखण्ड ब्रह्मपुर	श्री विष्णु राम, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, ब्रह्मपुर
7	28.02.17	प्रखण्ड, डुमरॉव	श्री शैलेन्द्र सिंह, लिपिक
8	19.02.18 को मृत	प्रखण्ड, डुमरॉव	स्व0 दिनेश कुमार शर्मा, लिपिक
9	31.01.16	प्रखण्ड, डुमरॉव	श्री बृज कुमार पाण्डेय, पंचायत सचिव
10	31.01.18	प्रखण्ड, बक्सर	श्री भारत भूषण राय, जनसेवक
10	31.08.12	प्रखण्ड, केसठ	श्री बालदेव सिंह, पंचायत सचिव
11	31.01.18	प्रखण्ड, इटाढ़ी	श्री रामधनी सिंह, पंचायत सचिव
12	31.01.14	प्रखण्ड, इटाढ़ी	श्री बशिष्ठ राम, कार्यालय परिचारी
13	07.09.12 मृत	प्रखण्ड, इटाढ़ी	स्व0 श्याम लाल राम, कार्यालय परिचारी
14	28.02.2014	प्रखण्ड चौसा	श्री मदन राम, पंचायत सचिव
14	31.01.18	प्रखण्ड, सिमरी	मो0 इमरान, उर्दू अनुवादक
15	31.01.18	प्रखण्ड, चक्की	श्री ददन प्रसाद, निम्नवर्गीय लिपिक
16	31.01.18	प्रखण्ड, चौंगाई	श्री लाल साहेब सिंह, पंचायत सचिव
17	31.12.17	प्रखण्ड, नावानगर	श्री नागेन्द्र सिंह, जनसेवक
	31.07.18	प्रखण्ड नावानगर	श्री रामनाथ सिंह, जीप चालक
18	मृत्यु की तिथि (28.10.14)	अंचल सिमरी	स्व0 सुरंजीत कुमार सिंह, राजस्व कर्मचारी
19	02.10.13	अंचल, इटाढ़ी	स्व0 संतोष कुमार सिंह, राजस्व कर्मचारी
20	31.01.18	अंचल, ब्रह्मपुर	श्री भगवान सिंह, अंचल अधिकारी, ब्रह्मपुर
21	30.11.16	अंचल, बक्सर	श्री अमर पासवान, चौकीदार
22	31.01.18	अंचल, राजपुर	श्री नारदमुनी गोस्वामी, राजस्व कर्मचारी
23	28.02.18	अंचल, चौंगाई	श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, अंचल अधिकारी
24	–	अंचल, नावानगर	श्री बृजराज सिंह, चौकीदर
25	31.12.16	उत्पाद एवं मद्य निशेध कार्यालय, बक्सर	श्री कृष्ण कुमार, स0अ0नि0उ0
26	31.07.17	भवन प्रमण्डल, बक्सर	श्री राजदेव प्रसाद, कार्य दर्षक
27	30.06.16	सोन नहर प्रमण्डल,बक्सर	श्रीमती पान कुँवर देवी, कार्यालय परिचारी

क्र0 सं0	सेवा निवृति की तिथि	कार्यालय/विभाग का नाम	सेवानिवृत कर्मी का नाम एवं पदनाम (मोबाईल नं0 सहित)
1	2	3	4
28.	31.01.17	सोन नहर प्रमण्डल,बक्सर	श्री कन्हैया प्रसाद, कनीय अभियंता
29	31.03.18	लघु सिंचाई प्रमण्डल, बक्सर	मो0 हाफिज, मेठ
30.	31.01.2017	जिला कृषि कार्यालय, बक्सर	श्री प्रेम शंकर राम, जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर
31	13.11.17	जिला कल्याण कार्यालय, बक्सर	श्री रविशंकर सिंह, लिपिक
32	30.09.2018	जिला कल्याण कार्यालय, बक्सर	श्री आफताब आलम, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी
33	28.02.2018	बाल विकास परियोजना कार्यालय, नावानगर	श्री गुप्तेश्वर राम, अनुसेवक
34	31.01.18	जिला सहकारिता कार्यालय, बक्सर	श्री कामेश्वर प्रसाद, प्रधान लिपिक
35	27.01.2018 (मृत)	सिविल सर्जन कार्यालय, बक्सर	मो0 मुस्तफा अंसारी, चालक

- सभी प्रधान लिपिकों को अवगत कराया गया कि लोकायुक्त न्यायालय में दर्ज परिवाद संख्या 02/लोक(राजस्व) 59/2010 में माननीय सदस्य (न्यायिक) लोकायुक्त, बिहार द्वारा दिनांक 07.01.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में दिनांक 01.04.2019 तक के सभी सेवानिवृत पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाया सेवानिवृत लाभों के भुगतान के संबंध में प्रतिवेदन दिनांक 15.04.2019 के पूर्व भेजा जाना है। लोकायुक्त महोदय द्वारा सेवानिवृत मामलों का निश्चित रूप से निष्पादित करने का आदेश पारित किया गया है।
- संबंधित कार्यालय के प्रधान लिपिकों को निदेश दिया जाता है कि अपने कार्यालय से संबंधित लंबित सेवान्त लाभों के निष्पादन 15 दिनों के अंदर नियमानुसार करना सुनिश्चित करेंगे।
- सभी प्रधान लिपिक को यह भी निदेशित किया जाता है कि दिनांक 28.02.2019 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से समाहरणालय सभाकक्ष में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया है। इसकी सूचना अपने प्रखण्ड क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक स्थान एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रचार–प्रसार हेतु लगाना सुनिश्चित करेंगे।

7. **लोकायुक्त :–**

क्र0	लंबित कार्यालय का नाम	कुल प्राप्त मामलों की संख्या	प्रतिवेदन भेजे गए मामलें की संख्या	लंबित मामलें की संख्या
1	जिला शिक्षा पदाधिकारी	13	11	2
2	राजस्व शाखा	9	7	2
3	योजना शाखा	1	0	1
4	डी0आर0डी0ए0, बक्सर	5	1	4
5	लोकायुक्त कोषांग, बक्सर	1	0	1
6	स्थापना उप समाहर्त्ता, बक्सर	1	0	1
योग		30	19	11

सभी संबंधित प्रधान लिपिकों को निदेशित किया गया कि लंबित मामलों का निष्पादन शीघ्र करना सुनिश्चित करेंगे एवं जिन मामलों में लोकायुक्त न्यायालय में यदि तिथि निर्धारित की गयी हो तो निर्धारित तिथि के पूर्व प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे एवं कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन लोकायुक्त कोषांग को भी देंगे। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले कर्मी के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी।

8. मानवाधिकार :–

क्रमांक	लंबित कार्यालय का नाम	लंबित मामलें की संख्या
1	पुलिस अधीक्षक, बक्सर	01
2	उप विकास आयुक्त, बक्सर	04
3	अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरॉव	02
4	प्रभारी पदाधिकारी, आपदा शाखा, बक्सर	01
5	जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर	08
6	स्थापना उप समाहर्त्ता, बक्सर	01
7	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग,बक्सर	01
8	प्रभारी राजस्व शाखा, बक्सर	01
	कुल योग	19

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मानवाधिकार आयोग से संबंधित विभिन्न कार्यालयों में कुल 19 मामले लंबित है। संबंधित सभी प्रधान लिपिकों को निदेशित किया गया कि 15 दिनों के अंदर लंबित मामलों का निष्पादन कराते हुए अनुपालन प्रतिवेदन नोडल शाखा को प्राप्त करायेंगे तथा अनुपालन प्रतिवेदन के साथ आगामी बैठक में उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे।

9. विधान मंडल :–

क्र0	लंबित कार्यालय का नाम	कुल प्राप्त मामलों की संख्या	प्रतिवेदन भेजे गए मामलें की संख्या	लंबित मामलें की संख्या
1	विकास शाखा	64	62	2
2	राजस्व शाखा	43	36	7
3	उप विकास आयुक्त –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	1	0	1
4	जिला पंचायत राज पदाधिकारी	3	0	3
	योग	111	98	13

उपरोक्त शाखाओं के प्रधान लिपिक को निदेश दिया जाता है कि 15 दिनों के अंदर विधान मंडल से संबंधित लंबित सभी मामलों का निष्पादन करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन के साथ आगामी बैठक में उपस्थित रहेंगे।

नोट :–

- **सभी प्रधान लिपिक को निदेशित किया जाता है कि प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार अथवा अधोहस्ताक्षरी के अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम में नियत तिथि के 02 दिन पहले अपने कार्यालय में संधारित रोकड़ बही, बैंक पासबुक, बैंक समाशोधन एवं अन्य निदेशित मामलें का अद्यतन प्रतिवेदन के साथ बैठक में समीक्षा किये जाने वाले सभी बिन्दुओं का प्रतिवेदन संबंधित नोडल शाखा को प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि संबंधित शाखा द्वारा ससमय समेकित प्रतिवेदन तैयार किया जा सके।**

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

R. [signature] 03/03/17

जिला पदाधिकारी,
बक्सर

ज्ञापांक________/स्था0,बक्सर,दिनांक____/____/2019

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, बक्सर
अपर समाहर्ता, बक्सर
उप विकास आयुक्त, बक्सर
समाहरणालय के सभी प्रभारी पदाधिकारी
अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर/डुमरॉव
भूमि सुधार उप समाहर्ता, बक्सर/डुमरॉव
प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा,बक्सर
जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बक्सर
जिला मत्स्य पदाधिकारी, बक्सर
वरीय कोषागार पदाधिकारी, बक्सर/डुमरॉव
जिला स्तरीय सभी कार्यालय प्रधान
सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला–बक्सर 11
सभी अंचलाधिकारी, जिला–बक्सर 11
सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला–बक्सर
सभी प्रधान लिपिक
आई0टी0 मैनेजर, बक्सर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि बैठक की कार्यवाही जिले के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
बक्सर

ज्ञापांक 01-0394/स्था0,बक्सर,दिनांक 05/03/2019

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना
आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

03/03/19

जिला पदाधिकारी,
बक्सर

ज्ञापांक 01-0394/स्था0,बक्सर,दिनांक 05/03/2019

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, बक्सर
अपर समाहर्ता, बक्सर
उप विकास आयुक्त, बक्सर
समाहरणालय के सभी प्रभारी पदाधिकारी
अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर/डुमरॉव
भूमि सुधार उप समाहर्ता, बक्सर/डुमरॉव
प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा,बक्सर
जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बक्सर
जिला मत्स्य पदाधिकारी, बक्सर
वरीय कोषागार पदाधिकारी, बक्सर/डुमरॉव
जिला स्तरीय सभी कार्यालय प्रधान
सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला–बक्सर 11
सभी अंचलाधिकारी, जिला–बक्सर 11
सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला–बक्सर
सभी प्रधान लिपिक
आई0टी0 मैनेजर, बक्सर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि बैठक की कार्यवाही जिले के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

03/03/17

जिला पदाधिकारी,
बक्सर